

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1727/2014/उदयपुर

मै0 रुद्ध इन्जिनियरिंग, 108, 11डी, सेन्टर कलडवास, उदयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन)
वाणिज्यिक कर, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री बी. एल. शर्मा
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.


श्री आर. के. अजमेरा
उप-राजकीयअभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 31.05.2017


निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/13-14/कर/उपा(प्र)उदय में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.01.2014 में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.06.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-पंचम, वृत्त-ब, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2001-02 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये नोटिस दिनांक 29.11.2003 सुनवाई दिनांक 16.12.2003 की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वेट अधिनियम की धारा 29(5), 6 व 7 के तहत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.03.2004 पारित करते हुए रुपये 37,880/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2014 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 13.06.2014 से इस आधार पर निरस्त किया गया कि अपीलार्थी की ओर से कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त आधार पर व्यवसायी को कर निर्धारण हेतु एक मौका और दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।


31/05/17

लगातार.....2.

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सम्मन अपीलार्थी पर तामील नहीं कराया गया एवं नोटिस तामील करवाये बिना ही अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध मांग सृजित की गयी है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने इन कथन के साथ अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।
7. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2001-02 के कर निर्धारण करने के लिये एकमात्र नोटिस दिनांक 29.11.2003 सुनवाई दिनांक 16.12.2003 के लिये जारी किया गया है। किन्तु उक्त नोटिस किसे तामील करवाया गया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। नोटिस पर तामीलकर्ता और न ही उनके किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलार्थी पर नोटिस की तामील नहीं मानी जा सकती। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर नोटिस तामील होना नहीं पाया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी को सुनवाई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त विपरीत पारित गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 27.03.2004 व अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.06.2011 अपास्त किये जाने योग्य है।
8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2011 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 27.03.2004 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें।
9. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)

सदस्य